एकल पीठ

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
रिट याचिका (एस) संख्या 5174 /2006

याचिकाकर्ता :

राम नारायण साहू, आत्मज श्री हेत राम साहू, आयु लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्राम नयापारा, तहसील बलौदा बाजार, जिला रायपुर (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं समाज कल्याण विकास छत्तीसगढ़ सरकार, विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. संयुक्त संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण, रायपुर (छ.ग.)।
3. कलेक्टर, 19726 प्राप्त–प्रति ए. जी. बिलासपुर के लिपिक रायपुर (छ.ग.)। रायपुर, जिला
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बलौदा बाजार, तहसील बलौदा बाजार, जिला रायपुर (छ.ग.)।
5. सरपंच, ग्राम पंचायत, नयापारा, तहसील बलौदा बाजार, जिला रायपुर (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट/एकाधिक रिट, निर्देश/एकाधिक निर्देश आदि के जारी करने हेतु रिट याचिका।

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (एस) संख्या 5174/2006

याचिकाकर्ता : राम नारायण साहू

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

एकल पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री

श्री एम.के. सिन्हा, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।
श्री सुमेश बजाज, शासकीय अधिवक्ता, राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 के लिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश
(दिनांक 3 अक्टूबर, 2006 को पारित)

1. याचिकाकर्ता को पंचायत कर्मी के रूप में कार्य करते हुए दिनांक 4.11.1995 को पंचायत सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था (संलग्नक पी/1)।
2. विहित प्राधिकारी अर्थात् मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बलौदा बाजार ने आदेश दिनांक 12.9.2006 (संलग्नक पी/9) द्वारा, याचिकाकर्ता के विरुद्ध गंभीर आरोपों के आधार पर विभागीय जांच लंबित रहने के दौरान उसे ग्राम नयापारा के पंचायत सचिव के रूप में कार्य करने से निलंबित कर दिया।

3. जो भी हो, आक्षेपित आदेश दिनांक 12.9.2006 सेवा से हटाने के आदेश की प्रकृति का नहीं है, अपितु निलंबन का आदेश है जो याचिकाकर्ता के विरुद्ध जांच के सुचारू संचालन की सुविधा प्रदान करता है।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 12.9.2006 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बलौदा बाजार द्वारा पारित किया गया था, जो छत्तीसगढ़ पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (संक्षेप में "अधिनियम, 1993") की धारा 69 (1) के तहत पंचायत सचिव की नियुक्ति के लिए विहित प्राधिकारी नहीं है। इस प्रकार, विवादित निलंबन आदेश विधिक दृष्टि में दोषपूर्ण, अन्यायपूर्ण और क्षेत्राधिकार के बिना है।

5. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना है और याचिका तथा उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है। यह सत्य है कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 705/पी/22/2003 दिनांक 19.5.2003 के अनुसार संयुक्त संचालक/उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग, नियम 1993 की धारा 69 (1) के तहत सक्षम अधिकारी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 (संक्षेप में "नियम, 1966") नियम 9 के दूसरे परंतुक के तहत निलंबन का उपबंध करता है कि यदि निलंबन का आदेश नियुक्ति प्राधिकारी से अधीनस्थ स्तर के प्राधिकारी द्वारा दिया जाता है, तो ऐसा प्राधिकारी तत्काल उन परिस्थितियों के विषय नियुक्ति प्राधिकारी बताएगा, जिनमें आदेश दिया गया था। नियम 1966 पंचायत कर्मचारी के मामले में ऐसे क्षेत्रों के संबंध में लागू होते हैं, जो अधिनियम, 1993 और उसके तहत बनाए गए नियमों अर्थात् छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1999 (संक्षेप में "नियम, 1999") के तहत शासित नहीं हैं। इस प्रकार, नियम 1966 राज्य सरकार/पंचायतों के

सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। निलंबन की सूचना संयुक्त संचालक/उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग, रायपुर को दिए जाने के तथ्य स्वयं आक्षेपित आदेश से स्पष्ट होते हैं, जिसे संबंधित प्राधिकारी को चिन्हित किया गया है। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि आक्षेपित निलंबन आदेश उत्तरवादी क्रमांक 4 द्वारा उचित रूप से पारित किया गया था।

7. यह सुस्थापित विधिक सिद्धांत है कि निलंबन अस्थायी होता है और इसमें नागरिक परिणामों के साथ कोई दंड अंतर्विष्ट नहीं होता है। निलंबन का अर्थ कार्यों से अस्थायी रूप से वंचित करना है जो उसके पद या उसकी स्थिति में किसी कमी के समान नहीं है। निलंबनाधीन कर्मचारी शासकीय सेवक बना रहता है, विभागीय जांच की कार्यवाही में उसके द्वारा अनुचित प्रभाव डालने और अभिलेख के साथ संभावित छेड़छाड़ से बचने के लिए विभागीय जांच लंबित रहने तक कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती है। इस स्तर पर, याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों में जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि यह लंबित विभागीय जांच में पक्षकारों के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. उपरोक्त कारणों से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के प्रयोग के लिए कोई मामला नहीं बनता है। इस प्रकार, यह रिट याचिका संक्षेप में खारिज की जाती है।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

= = = = 0000= = = =

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक

प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur